न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 05/2013

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 हरीसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव तहसील बाली		1 ग्राम पंचायत शिवतलाव जरिये सरपंच 2 शांति पत्नि राजूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रेवतडा तहसील सायला जिला जालोर 3 श्रीमति पिन्टू पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा 4 श्रीमति संगीता पत्नि वसन्तसिंह जाति राजपुरोहित निवासी शंखवाली तहसील आहोर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 18/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 29/05–06, संकल्प संख्या 6 (3) दिनांक 06.04.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पैतृक मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। उस प्रार्थना पत्र पर न तो दिनांक अंकित है तथा न ही पडौस अंकित है। तत्पश्चात दिनांक 18.07.2005 को मिसल दर्ज करना बताया गया एवं सचिव को नक्शा बनाकर पेश करने की हिदायत दी गई। इसके बाद करीब साढे पांच वर्ष पश्चात दिनांक 05.11.2010 को पत्रावली नक्शा सहित बैठक में पेश करना बताया। सचिव ने नक्शा कब बनाया ? उस पर न तो अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर है एवं न ही उस पर नक्शा बनाने की दिनांक ? जिस सचिव द्वारा नक्शा बनाया गया एवं जिस सरपंच द्वारा निर्णय पारित कर विवादग्रस्त प्लोट का पट्टा जारी किया। इन दोनो द्वारा दिनांक 11.08.2011 को विवादित प्लॉट के सम्बन्ध में एक आदेश प्रदान किया, जिसमें उक्त. प्लॉट पर कब्जा एवं निवास श्रीमति भूरीबाई विधवा भैरूसिंह का हक होना बताया। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज योग्य है। पत्रावली में

अति. जिला कलक्टर, पाली

गवाह गणेशसिंह के बयान भी मात्र खानापूर्ति के रूप में किये गये है। वास्तविकता यह है कि जिस विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में विवादित पट्टा जारी किया गया है, उक्त भूखण्ड मय मकान प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार उसके दादाजी का बनाया जाना स्वीकृत तथ्य है, साथ ही उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 1 भेरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम से मिसल संख्या 3/67–68 के तहत 81/– रूपये की राशि की रसीद संख्या 25 दिनांक 09.12.1967 के तहत जमा होने पर दिनांक 28.02.1968 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 विवाहित है, जो अपने ससुराल में निवास करती है। स्व0 भंवरसिंह द्वारा अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि को विक्रय कर राशि जमा कर रखी थी, जिससे इनका विवाह सम्पन्न किया गया था। विवादित भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का मात्र 1/6 हिस्सा आता है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के साथ भूरीबाई पत्नि भेरजी का निवास है, जो प्रार्थी की माता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो गलत है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत शिवतलाव में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी पैतृक सम्पति एवं अपने पिता के पारिवारिक बंट में आये हुए भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पंचायत द्वारा पूर्ण जांच कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अलावा शेष उत्तराधिकारीयों को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण प्रार्थी की निगरानी पोषणीय नही है। भैरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के तीन पुत्रों के बीच आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडा आज से 20 वर्ष पूर्व हो चुका था। उस वक्त दो मकान एवं दो प्लॉट थे, उन चारों का विभाजन किया गया था। जिसमें से एक मकान (ए) प्रार्थी हरिसिंह के रहा, जिसके उत्तर में सरदारसिंह पुत्र केसाजी, दक्षिण में गली, पूर्व में रघुनाथसिंह एवं पश्चिम में आम रास्ता है। दूसरा मकान बिडदसिंह पुत्र भेरजी के बंट में आया, जिसके उत्तर में आम रोड़, दक्षिण में रमेश पुत्र वरदीसिंह, पूर्व में गली एवं पश्चिम में रघुनाथसिंह का मकान है। मृतक भंवरसिंह पुत्र भेरजी के बंट में एक प्लॉट आया, जिसके उत्तर में चतरसिंह पुत्र सरदारसिंह, दक्षिण में भबूतसिंह पुत्र भेरजी, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में आम रास्ता आया हुआ है। भंवरसिंह एवं उनकी पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 उनके वारिशान है। भंवरसिंह द्वारा उक्त भूखण्ड पर बैंक से ऋण लेकर रहवासीय मकान का निर्माण करवाया है तथा भंवरसिंह द्वारा उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को सुपुर्द किया है। जो तथाकथित पट्टा भैरजी पुत्र भगाजी का दिनांक 09.12.1968 को जारी होना बताया गया है, वह कूटरचित है तथा हरिसिंह ने उक्त भूखण्ड व मकान को हडपने की नियत से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। भूरीबाई, प्रार्थी की माता है, जो प्रार्थी के साथ निवास करती है, किन्तु भैरीबाई ने आज दिनांक तक इस मकान में निवास नही किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर प्रस्तुत की है। जो खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बसह पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 29/05–06, संकल्प संख्या 6 (3) दिनांक 06.04.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पुश्तैनी मकान का पट्टा अपने व अपनी बहिनों के नाम से बनवाने का निवेदन किया तथा आवेदन पत्र में यह अंकित किया कि उक्त मकान करीब पचास वर्ष पूर्व मेरे पिता एवं दादाजी द्वारा बनवाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर सचिव को नियमानुसार शुल्क लेकर मिसल दर्ज करने के आदेश दिये गये, किन्तु उक्त आदेश पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। मिसल की आदेशिका दिनांक 18.07.2005 के अनुसार मिसल दर्ज कर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये, उक्त आदेशिका पर भी सरपंच के हस्ताक्षर नही है। इसके पांच वर्ष पश्चात दिनांक 05.11.2010 को मिसल पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया, किन्तु उक्त तीन वार्ड पंच कौन थे ? नाम अंकित नही है। आदेशिका दिनांक 22.11.2010 के अनुसार तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अस्थाई आदेश जारी करते हुए नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 22.03.2011 को किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने से दो गवाहो के बयान दर्ज कर मिसल आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 06.04.2011 को नियम 157 (क) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुआ है कि इसी भूमि का पट्टा पूर्व में प्रार्थी के पिता भैरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम जारी हुआ है। उक्त पट्टे का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि भेरजी पुत्र भगाजी को पट्टा संख्या 1 दिनांक 28.12.1968 को जारी किया गया है। उक्त पट्टे में जो पडौस दर्शाये गये है वे इस प्रकार है कि – उत्तर में मेगसिंह पुत्र केसाजी का थाला, दक्षिण में भेरजी प्रतापजी का थाला, पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता। उक्त पट्टे की भूमि का क्षैत्रफल 1800 वर्गफुट है। इसके विपरित अप्रार्थी द्वारा इसी पट्टे की प्रति प्रस्तुत की, जिसके उत्तर दिशा में भुदाराम पुत्र पेमाजी का थाला, दक्षिण में चिमनदास पुत्र तुलसीदास का थाला अंकित किया है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे की भूमि का क्षैत्रफल भी 1800 वर्गफुट है। जिसके पडौस निम्न प्रकार से है – उत्तर में छतरसिंह पुत्र सरदारसिंह राजपुरोहित, दक्षिण में भबूतसिंह पुत्र भैरजी राजपुरोहित, पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में आम रास्ता। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो ने भेरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम जारी पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत की है, जिसमें उत्तर दक्षिण के पडौस भिन्न है। मूल पट्टा, जो ग्राम पंचायत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें उत्तर एवं दक्षिण दिशा के पडौस में रद्दोबदल किया जाना स्पष्ट दर्शित है। अब इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि क्या पूर्व में भैरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम जारी पट्टा उसी भूमि का है, जिस पर जैर निगरानी आज्ञा की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम पट्टा जारी किया गया है ? इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी स्वीकार किया है। यदि यह भूमि पुश्तैनी होकर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Devolve हुई है, तो किस रूप में ? प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर जो भी दस्तावेज आये है, उनसे यह तो स्पष्ट नही होता है कि भेरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम उसी भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम जारी किया गया है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह अंकित किया गया है कि उक्त मकान मेरे पिता व दादा द्वारा बनवाया गया है तथा प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को पुश्तेनी स्वीकार किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता एंव औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगवाने, उसकी परीक्षा करने एवं यदि किसी भी मामले में यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो तद्नुसार आदेश पारित करने की शक्तियां इस न्यायालय को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव को संबोधित आवेदन पर पर मिसल दर्ज करने का आदेश अंकित अवश्य है, किन्तु उस आदेश पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नही है। इस प्रकार बिना आदेश के उक्त मिसल दायर की गई है। इसके पश्चात आवेदक द्वारा न तो नक्शा शुल्क अदा करना पाया गया तथा न ही स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे देय शुल्क अदा किया गया है, उक्त स्थिति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 (2)(3) का उल्लंघन है। इसके पश्चात जो नक्शा तैयार किया गया है, वह भी आवेदक की उपस्थिति में नही किया गया है, जिसकी पुष्ठि मिसल के संलग्न नक्शे से होती है, जिस पर नक्शा तैयार करने वाले के तथा सरपंच के हस्ताक्षर है। मौका निरीक्षण हेतु किन पंचो को मनोनीत किया गया, यह अंकित नही है। एक माह का आपत्ति नोटिस किस दिनांक को जारी किया गया, यह अंकित नही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में आज्ञा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है, इसलिये जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, शिवतलाव द्वारा मिसल संख्या 29/05–06, संकल्प संख्या 6 (3) दिनांक 06.04.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 24.02.2012 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत शिवतलाव को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पूर्व में मिसल संख्या 3/1967–1968 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.02.1968 एवं उसकी पालना में भेरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के पक्ष में जारी पट्टे को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। चूंकि प्रकरण में भेरजी पुत्र भगाजी पुरोहित के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें उत्तर एवं दक्षिण दिशा में अंकित प्रविष्ठियो पर रद्दोबदल किया गया है। अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली को आदेश दिया जाता है कि वे इस बाबत जांच करावे एवं **इस हेतु दोषी के विरूद्ध राजकीय दस्तावेजात में हेराफेरी के सम्बन्ध में**

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करे, साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज करावें, जिससे इस प्रकार की पुनरावृति को रोका जा सके। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत शिवतलाव, विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को प्रेषित की जावे। ग्राम पंचायत शिवतलाव का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली